न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./1504/2005/अलवर

शिब्बा पुत्र नाथ्या, जाति मीना, निवासी ग्रम हरसाना, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामगोपाल, जाति मीना, निवासी ग्रम हरसाना, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर।
2. अध्यक्ष आवंटन परामर्श दात्री समिति जरिये सहायक कलक्टर, राजगढ वर्तमान लक्ष्मनगढ, जिला अलवर।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-

(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री एस0एन0 बेनीवाल, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 15-06-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 55/2002 अनुवानी शिब्बा बनाम गिर्राज प्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 9-3-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का नियमन दिनांक 23-9-1974 को सिब्बा पुत्र नथ्थू के पक्ष में किया गया। उक्त नियमन को निरस्त कराने हेतु गिर्राज वल्द रामगोपाल के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन), नियम-1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र अति0 कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संशोधित कर नियम 20 (2) किया गया। अति0 कलक्टर, अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 17-09-2001 से यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 23-9-1974 को निरस्त कर प्रकरण आवंटन समिति को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी शिब्बा द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय ने, अपीलाधीन निर्णय से अपील को खारिज किया है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 – अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4– अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि रैस्पो0 प्रकरण में किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं हैं और उनके द्वारा करीब 27 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को निरस्त कराने हेतु नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र अति0 कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अनियमितता की है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय दोनों न्यायालयों ने इस बिन्दु को अनदेखा कर दिया है कि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत भूमि प्रार्थी–रैस्पो0 के पिता रामगोपाल की नहीं रही है और ना ही किसी प्रकार से पैतृक है। प्रश्नगत भूमि सिवाय चक भूमि थी और अपीलार्थी के पुराने कब्जे के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किया गया था। प्रार्थी–रैस्पो0 का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही इनके द्वारा इस भूमि के आवंटन–नियमन हेतु कोई आवेदन किया गया है। मान्य सिद्धान्तों के अनुसार फ्राड या मिस–रिप्रजैंटेशन होने पर ही आवंटन को निरस्त किया जा सकता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अति0 कलक्टर द्वारा हमें किसी प्रकार से सुनवाई का मौका दिए बिना, विधिपूर्वक तरीके से किए गए आवंटन को निरस्त करने में अनियमितता की है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट करने में भूल की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने और अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि साबिक खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, नवीन खसरा नम्बर 100 रामनिवास, जीवन व शिब्बा के कब्जे काश्त में थी जिसमें तीनों का बराबर बराबर हिस्सा है। प्रार्थी के हिस्से में 1/3 भाग आया है और वह इस पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या–1 ने इस तथ्य को छिपाते हुये अपने पक्ष में नियमन कराया है। धारा 91 की रिपोर्ट में भी जीवन व शिब्बा के नाम हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी–रैस्पो0 के हिस्से को इस नियमन में समाप्त कर दिया गया है। अति0 कलक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही जॉच हेतु प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति को प्रति प्रेषित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं और जहॉ समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हों वहॉ द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम हरसाना, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का नियमन दिनांक 23-9-1974 को सिब्बा पुत्र नथ्थू के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। प्रार्थी-रैस्पो0 द्वारा इस नियमन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रश्नगत भूमि पर अकेले अप्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है बल्कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 तथा तीवन के पिता नत्था के कब्जे काश्त खातेदारी की थी, जिसके तीन पुत्र रामनिवास, जीवन व शिब्बा थे। रामनिवास का पुत्र प्रार्थी है, इस प्रकार उक्त आराजी में सभी का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है। रामनिवास द्वारा अपने जीवनकाल में आराजी का बॅटवारा कर दिया था और इसमें प्रार्थी के हिस्से में 1/3 भूमि आई है। यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि दर्ज रही है और सन् 1967 में धारा 91 की रिपोर्ट में जीवन, शिब्बा के नाम हैं। अति0 कलक्टर ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि तहसीलदार, लक्ष्मनगढ द्वारा जो नियमन की सिफारिश दिनांक 20-7-1971 को की है वह भी जीवन व शिब्बा के नाम की गई है। आवंटन समितति की सिफारिश के अनुसार 23-9-1974 को विनयमन किया है जब कि पट्टा दिनांक 5-9-1976 में अकेले शिब्बा के नाम जारी किया है। सम्वत् 2019-29 की खसरा गिरदावरी में रागोपाल, जीवन व शिब्बा को कब्जा काश्त बतौर अतिक्रमी दर्ज रहा है। इस प्रकार प्रकरण में परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि वास्तविक कब्जेधारी के पक्ष में नियमन आदेश जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अति0 कलक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है क्योंकि वास्तविक स्थिति सभी पक्षों को सुन कर ही सामने आ सकती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित होने से, द्वितीय अपील के स्तर पर इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने RBJ (23) 2016 page 482 DB, RBJ (4) 1997 page 39 DB , RBJ (16) 2009 page 725 DB में स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में स्पष्ट रुप से त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती हो या ये पुष्ट नहीं होता हो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने में स्पष्ट रुप से नियमों की अनदेखी की है, समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित नहीं है। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य